

हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग

संख्या: एम0पी0पी0-ए (3)-3/2003-11 तारीख शिमला-2 17 जुलाई, 2014

अधिसूचना

हिमाचल की राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 और उन्हें इस बाबत समर्थ बनाने वाले समस्त अन्य उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एच0पी0पी0सी0एल0) के फील्ड अफसरों, अर्थात् इसके समस्त सहायक अभियन्ताओं, अभियन्ताओं, वरिष्ठ अभियन्ताओं, उप प्रबन्धकों, प्रबन्धकों, वरिष्ठ प्रबन्धकों, उपमहाप्रबन्धकों, अतिरिक्त महाप्रबन्धकों और महाप्रबन्धकों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर राज्य में विद्युत पारेषण और आपूर्ति हेतु विद्युत लाइनें बिछाने या विद्युत संयंत्र लाने हेतु उन समस्त शक्तियों को प्रदान करती हैं, जो टेलीग्राफ प्राधिकारी को भारतीय तार अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन प्राप्त हैं।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (ऊर्जा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि ।

तारीख: शिमला-2 17 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाती है:-

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 3 विशेष अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, विद्युत भवन, शिमला-171004 ।
- 4 सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, खलीनी, शिमला-171002 ।
- 5 मुख्य विद्युत निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक न0 29, एस0डी0ए0 काम्लेक्स, कुसुम्पटी, शिमला-171009 ।
- 6 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमफेड भवन, नजदीक ओल्ड एम0एल0ए0 क्वाटर, शिमला-171004 ।
- 7 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड, बरोवालिया हाउस, खलीनी, शिमला-171009 ।
- 8 निदेशक ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश, ठाकुर वाटिका खलीनी, शिमला-171002 ।
- 9 सहायक, विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 10 मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं यो0) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, विद्युत भवन, शिमला-171004 ।
- 11 नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजस्व में प्रकाशन करने हेतु।
- 12 गार्ड नस्ति।

संयुक्त सचिव (ऊर्जा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

28/7/14

Dir (P)

Dir (E)

Gm COP

30/7/14

31/7/14

31/7/14

31/7/14

31/7/14

31/7/14